



क्र. सं.  
दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

आदिवासी कानून 2002  
आज्ञा विस्तृत रूप से

सुनी गई। पत्नील जयपुरीवांग ने  
कंपनी बहाल में पाया कि जयपुरीवांग  
की अग्रे साल 2007-08 का 156 खाका उपरान्त  
है। इसके बाद गोल पत्थर हलका  
धोवाडी जयपुरीवांग की (जाते-आते) अग्रे  
है उक्त अग्रे के चारों तरफ के  
एवातेर आपे दिन परेअज करते है।  
दिनांक 02/11/2019 को उक्त अग्रे का  
सीमाज्ञा किया गया था अतः पत्थरवाडी  
कानून के अन्तर्गत उक्त किया जावे।  
अपनी पत्नील ने उक्त अग्रे  
की पत्थरवाडी की पत्नी है वा  
मुझे कोई आपत्त नहीं है।

उक्त पक्षों की बहाल सुनने  
प पत्रावली का अंतर्गत करने  
पर अस्तुतः अग्रे पत्र अंतर्गत  
द्वारा 128 राज. लेख अंतर्गत  
बाबर पत्थर गडी को स्वीकार  
किया जात है यदि किसी अग्रे  
अप्रापण का अग्रे अंतर्गत गा  
है तो तदनुसार अंतर्गत अग्रे  
को अंतर्गत दिनांक अंतर्गत है अंतर्गत  
गोल के 2007-08 का 156 खाका 3-540  
है। अग्रे के चारों तरफ की  
सीमाओं का सीमाचिह्न अंकित कर  
पत्थर गडी कानून सुनिश्चित करें।  
अंतर्गत की अंतर्गत तदनुसार  
अंतर्गत अग्रे को अंतर्गत अंतर्गत  
अंतर्गत जावे।  
पत्रावली अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत  
अंतर्गत से अंतर्गत हो बाबर अंतर्गत  
अंतर्गत अंतर्गत हो।

अंतर्गत  
अंतर्गत अंतर्गत